भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **61**/डी एल-एलए/**2003** दिनांक : **06** फरवरी, 2004

संदर्भ : **आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 2- गोल मार्केट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी, श्रीमती पूनम आजाद को कारण बताओ नोटिस**

आदेश

छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभाओं के लिए हाल में सम्पन्न साधारण निर्वाचनों हेतु अनुसूची की उद्घोषणा **6** अक्तूबर, 2003 को प्रेस कांफ्रेंस में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई थी और उसी तारीख को प्रेस नोट जारी किया गया था। यत: **भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य (1997** का एस एल पी सं. **22724** तारीख **26.4.2001** से निर्णय लिया गया**)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्णायक रूप से समाधान कर दिया गया है कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की उद्घोषणा की तारीख से लागू हो जाती है तथा तदनुसार, उपर्युक्त प्रेस नोट के पैरा **18** में कहा गया था कि संयुक्त प्रेस नोट के तहत उद्घोषित यथोक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचार संहिता **6** अक्तूबर, 2003 से ही लागू हो जाएगी।

2. आदर्श आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ पैरा VI में विशिष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्द्र में या संबंधित राज्यों में, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी शिकायत के लिए कोई कारण नहीं दिया जाए कि उसने निर्वाचन प्रचार अभियान के प्रयोजनों के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग किया है। उक्त आदर्श आचार संहिता के पैरा VII (iv) के आगे यह और विनिर्दिष्ट किया गया है कि समाचार पत्रों और मीडिया में सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करने और सत्तासीन दल की प्रत्याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज और विज्ञापनों के संबंध में प्रचार हेतु निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग से निष्ठापूर्वक बचा जाएगा।

3. एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के एक सुंदर बैग, जिसपर "अतुल्य भारत" लिखा हुआ था, में "रिजेनरेटेड इंडिया, न्यू डिस्टिनेशन, कुरुक्षेत्र" और "रेड फोर्ट, दिल्ली, रिबर्थ ऑफ ए फोर्ट" नामक शासकीय प्रचार सामग्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा **2**-गोल मार्केट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों में वितरित की गई है और साथ में श्री जगहोहन, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री की तारीख **26.11.2003** की अपील और श्री कीर्ति आजाद, सांसद के नाम से जारी निर्वाचन पम्फलेट, जिसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों से उस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के अभ्यर्थी श्रीमती पूनम आजाद को निर्वाचित किए जाने का अनुरोध किया गया था, भी वितरित किया गया है।

4. आयोग द्वारा मामले की जांच कराई गई और इसकी पुष्टि हुई कि पर्यटन मंत्रालय की कतिपय सामग्री एवं थैलियां **(**बैग**)** उस निर्वाचन क्षेत्र में वितरित की गई थीं जिनमें श्रीमती पूनम आजाद के पक्ष में मुद्रित लीफलेट्स और श्रीमती पूनम आजाद के पक्ष में मतदान करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से श्री जगमोहन द्वारा लिखित में की गई अपील अंतर्विष्ट थी।

5. निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी और अभ्यर्थी श्रीमती पूनम आजाद को तारीख **30.11.2003** को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि इस बारे में कारण बताए जाएं कि क्यों नहीं आदर्श आचार संहिता के उक्त उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

6. उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उसने पर्यटन मंत्रालय की प्रचार सामग्री वितरित नहीं की है, किंतु यह स्वीकार किया कि श्री जगमोहन, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा एक अपील की गई थी जिसमें **2**-गोल मार्केट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से कहा गया था कि वे श्रीमती पूनम आजाद को निर्वाचित करे। दल ने श्री कीर्ति आजाद, भाजपा सांसद द्वारा निर्वाचन पम्फलेट के साथ प्रचार-सामग्री वितरित किए जाने के मामले पर चुप्पी साध ली है।

7. श्रीमती पूनम आजाद ने नोटिस के प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपनी निर्वाचन प्रत्याशा के लिए कोई प्रचार सामग्री वितरित करने के लिए अभिमत नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके निर्वाचन प्रचार अभियान में जो भी व्यय हो रहा है, वह उसे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही है।

8. भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171** ज में यह उपबंध किया गया है कि जो कोई भी अभ्यर्थी के लिखित साधारण या विशेष प्राधिकार के बिना, कोई जनसभा आयोजित करने या ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन के संवर्धन या प्रापण के प्रयोजनार्थ किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशनों या किसी अन्य प्रकार के कार्य पर व्यय उपगत करता है या प्राधिकृत करता है, को जुर्माने, जो पांच हजार रुपए तक विस्तारित हो सकता है, से दंडित किया जाएगा।

9. इस मामले में सभी दस्तावेजी साक्ष्य और सभी अन्य सामग्री पहलुओं को ध्यान में लेने के बाद, निर्वाचन आयोग आश्वस्त है कि पर्यटन मंत्रालय की उपर्युक्त शासकीय प्रचार सामग्री भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता श्री जगमोहन एवं श्री कीर्ति आजाद द्वारा या उनकी ओर से वितरित की गई थी और इस प्रकार दल ने उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में इसके अभ्यर्थी श्रीमती पूनम आजाद की निर्वाचन प्रत्याशाओं को बढ़ाने के लिए उक्त सरकारी प्रचार सामग्री का दुरुपयोग किया और इसके द्वारा **6** अक्तूबर, 2003 से लागू **राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के पैरा VII का उल्लंघन किया।**

10. इसलिए, आयोग दल के अभ्यर्थी की प्रत्याशाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में भारतीय जनता पार्टी और केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, श्री जगमोहन के यथोक्त आचरण पर नाराजगी व्यक्त करता है।

11. आयोग ने यह भी पाया है कि श्री कीर्ति आजाद, सांसद ने अपने नाम से प्रकाशित एक निर्वाचन पम्फलेट जारी किया है जिसमें उक्त **2**-गोल मार्केट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों से भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी, श्रीमती पूनम आजाद के पक्ष में मतदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। उक्त पम्फलेट, जो चार पृष्ठ का बहुरंगी दस्तावेज है, जिसमें श्री कीर्ति आजाद और श्रीमती पूनम आजाद के फोटो एवं भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है, को टाइम्स प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित किया गया है। पम्फलेट पर केवल एक नजर से दिखाई देता है कि इसमें श्री कीर्ति आजाद की काफी राशि खर्च हुई होगी। श्रीमती पूनम आजाद ने आयोग को अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कोई निर्वाचन सामग्री के वितरण या प्रकाशन के लिए किसी को भी प्राधिकृत नही किया है और न ही उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किए जाने की जानकारी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री कीर्ति आजाद ने उक्त पम्फलेट को प्रकाशित किया जिसमें श्रीमती पूनम आजाद के लिए मतदान करने के बारे में निर्वाचकों से अपील की गई है और इसी पर श्रीमती पूनम आजाद से किसी प्राधिकार के बिना व्यय हुआ है। उन्होंने इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171** ज के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

12. इसलिए, आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को निदेश देता है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी-सह-उपायुक्त, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171**ज के अधीन श्री कीर्ति आजाद, सांसद के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवहियां शुरू करे।

आदेश द्वारा एवं
भारत निर्वाचन आयोग के नाम से

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
ओल्ड सेंट, स्टीफन्स कॉलेज बिल्डिंग
कश्मीरी गेट
दिल्ली।

विशेष संदेशवाहक द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **61**/डी एल-एलए/**2003** दिनांक : **06** फरवरी, 2004

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी,
11, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

विषय : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग के तारीख **6** फरवरी, 2004 के आदेश सं. **61**/डीएल-एलए/**2004** को आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ हे।

संलग्नक सहित इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(स्टैंडहोप यूहलूंग**)**
अवर सचिव

विशेष संदेशवाहक द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **61**/डी एल-एलए/**2003** दिनांक : **06** फरवरी, 2004

सेवा में,

श्रीमती पूनम आजाद,
25 केनिंग लेन,
नई दिल्ली।

विषय : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग के तारीख **6** फरवरी, 2004 के आदेश सं. **61**/डीएल-एलए/**2004** को आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ हे।

संलग्नक सहित इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(स्टैंडहोप यूहलूंग**)**
अवर सचिव